न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 327/2016 **दायरा दिनांक : 14.09.2016**

उनवान

अंकुश गौत्तम आयु 21 साल पुत्र श्री पुरूषोत्तम स्वरूप, जाति ब्राहमण, निवासी दिलोद हाथी, तहसील अटरू हाल निवासी कनवास, तहसील सांगोद, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1— पुरूषोत्तम स्वरूप पुत्र श्री जानकीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी दिलोद हाथी, तहसील अटरू, जिला बारां

2— श्यामा गौत्तम पत्नी श्री पुरूषोत्तम स्वरूप, जाति ब्राहमण, निवासी दिलोद हाथी, तहसील अटरू, जिला बारां

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.09.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या — 96/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 2 श्यामा गौत्तम पत्नी पुरूषोत्तम स्वरूप, जाति ब्राहमण, निवासी दिलोदहाथी, तहसील अटरू, जिला बारां द्वारा एक वाद विरूद्ध अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था जिसके अनुसार जमाबंदी सम्वत 2060—2063 में खाता संख्या 22 की आराजी खसरा नम्बर 1943 रकबा 2.96 हेक्टर वाके ग्राम दिलोदहाथी, तहसील अटरू में स्थित है जो रेस्पोडेंट नम्बर 1 की खातेदारी में दर्ज है तथा इसी प्रकार वर्तमान खाता संख्या 154 की खसरा नम्बर 914 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 932 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 936 रकबा

0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 983 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 937 रकबा 0.05 हेक्टर कुल 6 किता की 0.92 हेक्टर वाके ग्राम दिलोदहाथी, तहसील अटरू, जिला बारां स्थित है जिसमें रेस्पोडेंट नम्बर 1 का 1/5 हिस्सा है व इसी प्रकार वर्तमान खाता संख्या 405 की खसरा नम्बर 926 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 930 रकबा 0.03 हेक्टर कुल 2 किता कुल रकबा 0.07 हेक्टर वाके ग्राम दिलोदहाथी, तहसील अटरू में स्थित है, जिसमें रेस्पोडेंट 1/4 हिस्सा है तथा खाता संख्या 177 की खसरा नम्बर 1943/2037 की रकबा 2.96 हेक्टर वाके ग्राम दिलोदहाथी, तहसील अटरू, जिला बारां में अवस्थित है, जिसमें रेस्पोडेंट नम्बर 1 का 1/2 हिस्सा निहित है । जो राजस्व रेकार्ड में क्रमांक 1 खाते व हिस्से में दर्ज है जिसमें वादी/अपीलांट का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खाता संख्या 22 में वादी का 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 154 में 1/10 हिस्सा, खाता संख्या 405 में 1/8 हिस्सा व खाता संख्या 177 में 1/2 हिस्सा बनता है, जिसे पृथक खाता दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा वर्णित तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन ठीक प्रकार से न करते हुए अपीलांट का हिस्सा गलत दर्ज करते हुए दिनांक 15.07.2015 को डिक्री पारित की गई है जिसमें अपीलांट का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में वर्णित आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार की गई घोषणा विधि संगत नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज करते हुए पुनः प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि उपरोक्त विवादित आराजी में प्रार्थी अपीलांट का हिस्सा सही करते हुए खातेदारी की घोषणा की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.01.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांट का पैतृक खातेदारी में जितना अधिकार बनता है उतने हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट केवल रेस्पोडेंट नम्बर 1 के हिस्से तक ही अपने अधिकारों की मांग कर सकता है । अपीलांट को जो खातेदारी अधिकार दिये गये हैं वो उसके

अधिकारों से ज्यादा दी गई है, जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री स्पष्ट नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । जिसमें खाता संख्या 22 की आराजी खसरा नम्बर 1943 रकबा 2.96 हेक्टर में रेस्पोडेंट नम्बर 1 का 1/2 हिस्सा है इसी प्रकार खाता संख्या 154 में कुल आराजी 0.92 हेक्टर में रेस्पोडेंट नम्बर 1 का 1/5 हिस्सा है । इसी प्रकार खाता संख्या 405 की खसरा नम्बर 926 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 930 रकबा 0.03 हेक्टर कुल 2 किता कुल रकबा 0.07 हेक्टर में रेस्पोडेंट नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा है तथा अन्य आराजी खाता संख्या 177 की खसरा नम्बर 1943/2037 रकबा 2.96 हेक्टर में रेस्पोडेंट नम्बर 1 का 1/2 हिस्सा है । अपीलांट रेस्पोडेंट नम्बर 1 के उत्तराधिकारी है । उपरोक्तानुसार डिक्री दिनांक 15.07.2015 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अपीलांट को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसके हिस्से के अनुसार किस प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है ? उसका विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है । चूंकि उपरोक्त विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसकी घोषणा कराने का अधिकार वादी को है जिसमें वादी के जन्म से ही अधिकार निहित है । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय का डिक्री एवं निर्णय स्पष्ट नहीं है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदारों को पार्टी नहीं बनाया गया है। न ही सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर तीन माह में निर्णय पारित करें । यदि बावजूद सूचना अपीलांट अथवा रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहते हैं, तो अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली का विस्तृत परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय परित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.11.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा